सरकारी व्यवसाय (GOVERNMENT BUSINESS)

कर संग्रहण

TAX COLLECTION

शुभ लक्ष्मी शर्मा
राजभाषा अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, ए.डी. टॉवर, बैंक रोड, गोरखपुर

सरकारी व्यवसाय

कर संग्रहण

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	कर	
2	करों का वर्गीकरण - प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर	
3	प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में समानतायें	
4	प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर	
5	कर संग्रहण	
6	कर संग्रहण अधिनियम, 1931	
7	कर संग्रहण के उद्देश्य	
8	कर संग्रहण से बैंकों को लाभ	
9	ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (OLTAS)	
10	स्रोतों पर कर कटौती /ऑनलाइन दाखिलीकरण	
11	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर संग्रहण के लिये ई-सरल पोर्टल	
12	स्रोत पर कर कटौती की दरें	
13	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)	
14	वस्तु एवं सेवा कर - जीएसटी (GST)	

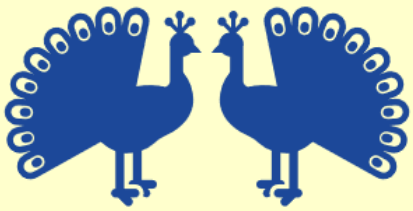

1. कर (TAX)

भारतीय रिजर्व बैंक सरकारों का सामान्य बैंकिंग व्यवसाय अपने स्वयं के कार्यालयों और अपने एजेंट के रूप में नियुक्त वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी दोनों के माध्यम से करता है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 में यह निर्धारित है कि वह विभिन्न प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत "इस सम्बंध में जनता के हित में, बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग का विकास और ऐसे अन्य कारक जो इसकी राय में इससे सम्बंधित है" उल्लिखित है, के लिये भारत में सभी स्थानों पर अथवा किसी स्थान पर एजेंट के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नियुक्त कर सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रधान खाते रखता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे भारतवर्ष में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ-साथ भुगतान करने के लिये सुसंचालित व्यवस्था की है. भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धार 45 के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क सरकारी लेन-देन का कार्य करता है. वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के चुने हुए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं. केवल एजेंसी बैंकों की नामित शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय कर सकती हैं.

किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे **कर** या **टैक्स** कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएँ भी तरह-तरह के कर लगातीं हैं। कर प्राय: धन (money) के रूप में लगाया जाता है किन्तु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है।

कर दो तरह के हो सकते हैं –

1. प्रत्यक्ष कर (Direct tax),
2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax)

2. करों का वर्गीकरण

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

एक प्रत्यक्ष कर को व्यक्ति की आय और धन पर लगाए गए कर के रूप में संदर्भित किया जाता है और सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है, ऐसे कर के बोझ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कर प्रकृति में प्रगतिशील है अर्थात यह आय या धन में वृद्धि और इसके विपरीत बढ़ता है। यह व्यक्ति की भुगतान क्षमता के अनुसार वसूल करता है, अर्थात कर अमीर से अधिक वसूला जाता है और गरीब लोगों से कम। कर लगाया जाता है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा एकत्र किया जाता है।

प्रत्यक्ष कर की योजनाओं और नीतियों की सिफारिश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा की जा रही है जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

प्रत्यक्ष करों के गुण

1. न्यायशीलता - ये कर न्यायशील होते हैं क्योंकि ये कर अधिक आय वाले व्यक्तियों पर ही लगाये जाते हैं।
2. मितव्ययिता - इन करों का भुगतान करदाता सीधे राजकोष में जमा करता है जिसके कारण इनको प्राप्त करने में साधनों का अपव्यय नहीं होता है।
3. लोच का गुण - प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं क्योंकि आपातकाल में सरकार इनमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके आय में वृद्धि तथा कमी कर सकती है।
4. निश्चिंतता - प्रत्यक्ष कर में निश्चिंतता का भाव होता है क्योंकि करदाता को यह ज्ञात हाता है कि उसे कितनी मात्रा में कर देना है और राज्य भी यह जानता है कि उसे कर से कितनी मात्रा में आय प्राप्त होगी।
5. उत्पादकता - ये कर उत्पादक होते हैं क्योंकि आर्थिक विकास के साथ-साथ इन करों से प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष करों के दोष

1. असुविधाजनक - प्रत्यक्ष कर का भुगतान हमेशा से ही असुविधाजनक होता है क्योंकि इसके लिए करदाताओं को विस्तृत लेखा रखना पड़ता है।
2. करदाताओं का विरोध - प्रत्यक्ष करों का हमेशा करदाताओं द्वारा विरोध किया जाता है। इसका कारण है कि ऐसे करों की चोरी के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं।
3. कर-निर्धारण में जटिलता - प्रत्यक्ष करों का निर्धारण जटिल होता है जिससे ईमानदार करदाताओं को हानि होती है और भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है।
4. सरकार को अपर्याप्त आय - प्रत्यक्ष करों का सीमित क्षेत्र होने के कारण सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त होती है।
5. सीमित क्षेत्र - प्रत्यक्ष कर केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं। अतः इनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाए गए कर हैं वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करता है। टैक्स का बोझ आसानी से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कर प्रकृति में प्रतिगामी है, अर्थात कर की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है और इसके विपरीत यह हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है चाहे वह अमीर हो या गरीब। कर का प्रशासन या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

अप्रत्यक्ष करों के गुण

1. न्यायशीलता - ये कर न्यायशील होते हैं क्योंकि ये कर उपभोग पदार्थों पर लगाए जाते हैं, जिससे इनका भार समाज के सभी अंगों पर उनकी करदेय क्षमता के अनुसार पड़ता है।
2. मितव्ययिता - ये कर मितव्ययी भी होते हैं क्योंकि इनके एकत्रीकरण पर राज्यों को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता।
3. लोच का गुण - इन करों में लोच का गुण भी पाया जाता है क्योंकि बेलोचदार माँग वाले पदार्थों पर लगे अप्रत्यक्ष करों से आवश्यकतानुसार आय प्राप्त की जा सकती है।
4. सुविधाजनक - ये कर उपभोक्ता वस्तुओं पर लगते हैं इसलिए ये सुविधाजनक होते हैं। इनका भार एक साथ न सहकर अंशो में सहना पड़ता है और राज्यों को एकमुश्त राशि प्राप्त हो जाती है।
5. करों की चोरी न होना - इन करों की राशि वस्तुओं की कीमतों में शामिल रहती हैं। अतः इनकी चोरी करना सरल नहीं है।

अप्रत्यक्ष करों के दोष

1. अनिश्चितता - परोक्ष कर मूलतः अनिश्चित होते हैं क्योंकि ये कर उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। उपभोग के अनिश्चित होने से इन करों से प्राप्त होने वाली राशि भी अनिश्चित हो जाती है।
2. असमानता – परोक्ष कर प्राय: आवश्यक उपभोग पदार्थों पर लगते हैं जिसके कारण निम्न आय के वर्ग के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. ये कर समानता और न्यायशीलता के सिद्धाअंत के प्रतिकूल होते हैं.
3. मूल्य स्तर में वृद्धि - ये कर उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है।
4. कर चोरी - परोक्ष कर से बचने के लिए बिक्रेता चोरबाजारी तथा गलत बही खातों के द्वारा कर चोरी करता है।
5. बेकारी तथा आर्थिक अनिश्चिंतता - अत्यधिक परोक्ष करों से माँग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों में बेकारी तथा देश में अनिश्चितता का वातावरण बनता है।

एक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसे सरकार को चलाने के लिये आधारभूत आवश्यकता के रूप में भी समझा जा सकता है.

आधुनिक सरकारों के लिए कराधान (taxation), आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लोकतंत्र में कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। कर करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रुप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है।

3. प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में समानताएँ

1. सरकार को देय।
2. भुगतान न करने पर जुर्माना।
3. विलंबित भुगतान पर ब्याज।
4. अनुचित प्रशासन कर से बचने या कर चोरी का कारण बन सकता है।

4. प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर

क्रम सं	तुलना का आधार	सीधा कर	अप्रत्यक्ष कर
1.	अर्थ	प्रत्यक्ष कर को कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, व्यक्ति की आय और धन पर लगाया जाता है और सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है।	अप्रत्यक्ष कर को कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है।
2.	प्रकृति	प्रगतिशील	प्रतिगामी
3.	घटना और प्रभाव	एक ही व्यक्ति पर गिरता है।	अलग-अलग व्यक्ति पर गिरती है।
4.	प्रकार	धन कर, आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर, आयात और निर्यात शुल्क।	केंद्रीय बिक्री कर, वैट (मूल्य वर्धित कर), सेवा कर, एसटीटी (सुरक्षा लेनदेन कर), उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी।

5.	टालना	कर चोरी संभव है।	कर चोरी शायद ही संभव है क्योंकि यह माल और सेवाओं की कीमत में शामिल है।
6.	मुद्रास्फीति	प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है।	अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है।
7.	छाप और संग्रह	इंडीविजुअल, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनी, फर्म इत्यादि से प्रभावित और एकत्र किए गए।	माल और सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगाया और एकत्र किया गया, लेकिन निर्धारिती द्वारा भुगतान और जमा किया गया।
8.	बोझ	स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।	शिफ्ट किया जा सकता है
9.	घटना	निर्धारिती की कर योग्य आय या धन	माल की खरीद / बिक्री / निर्माण और सेवाओं का प्रावधान

5. कर संग्रहण

स्रोत पर कर कटौती की संकल्पना आय के विभिन्न स्रोतों से आय को एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी. इस संकल्पना के अनुसार, एक व्यक्ति (कटौतीदाता) जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को निर्दिष्ट प्रकार का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं को स्रोत पर कर कटौती करनी होगी तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा. कटौतीकर्ता जिसके आयकर को स्रोत पर काटा गया है, कटौतीदाता द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र अथवा प्रपत्र 26कध के आधार पर ऐसी काटी गई राशि का ऋण पाने का हकदार होगा.

6. कर संग्रहण अधिनियम, 1931

(1931 का अधिनियम संख्यांक 16)[1]

[28 सितम्बर, 1931]

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के उपबन्धों को सीमित अवधि के लिए तुरन्त प्रभावी करने का उपबन्ध करने वाली विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के उपबन्धों को सीमित अवधि के लिए तुरन्त प्रभावी करने वाली विधि का संशोधन करना समीचीन है ;

इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 है।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, "घोषित उपबन्ध" से किसी ऐसे विधेयक का उपबन्ध अभिप्रेत है, जिसकी बाबत धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की गई है।

3. इस अधिनियम के अधीन घोषणा करने की शक्ति—जहां सरकार की ओर से [2][संसद्] में पुर: स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबन्ध करता है वहां, केन्द्रीय सरकार उस विधेयक में यह घोषणा अन्त:स्थापित करवा सकेगी कि लोकहित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से सम्बन्धित कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगा।

4. इस अधिनियम के अधीन की घोषणाओं का प्रभाव और उनकी अस्तित्वावधि—(1) घोषित उपबंध को, उस दिन की समाप्ति होते ही तुरन्त विधि का बल प्राप्त हो जाएगा जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबंध आता है।

(2) घोषित उपबंध का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधि का बल तब समाप्त हो जाएगा,—

(क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जाए, अथवा

(ख) जब केन्द्रीय सरकार, [2][संसद्] [3]*** द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे दे कि उसका विधि का बल समाप्त हो जाएगा, अथवा

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हो गया है तो, जब उस दिन के पश्चात् [4][पंचहत्तरवां दिन] समाप्त हो जाए जिस दिन वह विधेयक पुर: स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है।

5. जब घोषणाओं का प्रभावी होना समाप्त हो जाता है जब कतिपय धनराशियों का वापस किया जाना—(1) जहां कोई घोषित उपबन्ध संशोधित होकर किसी अधिनियमिति के रूप में उस दिन के पश्चात् जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है, [4][पचहत्तरवें दिन] की समाप्ति के पूर्व प्रवृत्त होता है वहां, सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो, यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबन्ध घोषित उपबन्ध होते तो, संगृहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर, जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई शुल्क वापस किया जाए, घोषित उपबन्ध में प्रस्तावित ऐसे शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसे शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां किसी घोषित उपबंध का धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे जो, यदि उस उपबंध के बारे में घोषणा न की गई होती तो, संगृहीत नहीं किए जाते।

6. [निरसन।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

7. कर संग्रहण के उद्देश्य

कर लोगों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। आय, संपत्ति तथा किसी वस्तु की खरीद के समय कर लगाया जाता है। कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। करासंग्रहण के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है:

1. आय प्राप्त करना
2. नियमन तथा नियन्त्रण करना
3. साधनों का आबंटन
4. असमानता को कम करना
5. आर्थिक विकास
6. कीमत वृद्धि पर नियन्त्रण

भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी लेखाओं के सम्बंध में सभी जीएसटी संग्रहण के लिखांकन के लिये संग्रहक का कार्य करता है. एजेंसी बैंक जीएस टी पोर्टल पर करदाताओं द्वारा ऑनलाइन किये गये चालन से जो जीएसटी एकत्र करते हैं, उन संग्रहणों का रिपोर्ट्भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खातों में निपटान के लिये करते हैं. साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध एनईएफटी /आरटीजीएस भुगतान विकल्पों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी लेखाओं में सीधे करदाताओं द्वारा जीएसटी की भुगतान की सुविधा प्रदान करता है.

8. कर संग्रहण से बैंकों को लाभ

कराधान के प्रभावों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती हैः

1. कराधान के उत्पादन पर प्रभाव : कराधान से कार्य करने, बचत करने तथा निवेश की क्षमता और कार्य करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा प्रभावित होती है। कर इन्हें कम करता है। परन्तु जब सरकार कराधान द्वारा एकत्रित धन खर्च करती है तो उससे देश के नागरिकों को सुविधाएं एवं सुगमताएं प्राप्त होती है। इसलिए कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर विचार करते समय सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाए।

2. कराधान के वितरण पर प्रभाव : आधुनिक कल्याणकारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है आय और सम्पति की असमनताओं को कम करना। समान वितरण की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाये जिससे निर्धन लोगों की आय बढ़े। करारोपण का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाये जिससे समृद्ध लोगों की आय और सम्पति में वृद्धि पर रोक लगे।

3. मुद्रा स्फीति पर करों का प्रभाव : मुद्रा स्फीति के समय पर कराधान का लक्ष्य होता है उपभोक्ता की क्रय शक्ति को कम करना। इस दिशा में आय और व्यय पर करारोपण, सार्वजनिक व्यय को नियन्त्रित करने में उपयुक्त होता है। आयातशुल्कों में कमी और वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि भी अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी दबावों को कम करती है।

4. करारोपण का मन्दी के समय में प्रभाव : मन्दी की स्थिति से निपटने के लिए करारोपण में कमी आवश्यक है। विशेष रूप से उन करो को घटाना आवश्यक है जो निम्न आय वर्गों पर पड़ते है। वस्तुकारों में कमी से उपभोग की प्रवृति में बढ़ोतरी होगी और बाजार मांग बढ़ेगी। ऐसे समय में प्रायः घाटे वाले बजटों को प्राथमिकता दी जाती है।

5. करारोपण का उपभोग पर प्रभाव : उपभोग की मात्रा तथा प्रकृति पर नियन्त्रण कुछ वस्तुओं की बिक्री पर भारी कर लगाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सीमाओं से पार से आने वाले उत्पादों का नियमन आयात-निर्यात शुल्क लगा कर किया जा सकता है।

इस प्रकार कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। इसके कुछ सिद्धान्त और प्रभाव है। इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास और कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो सके।

राज्य/केंद्र सरकार के लेनदेन करने वाली मान्यता प्राप्त बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पारिश्रमिक अदा किया जाता है. ऐसे पारिश्रमिक को एजेंसी कमीशन कहा जाता है. वर्तमान में (1 जुलाई 2019) से लागू एजेंसी कमीशन की दरें निम्नानुसार हैं;

क्रम.सं.		लेन देन का प्रकार	इकाई	संशोधित दर
क	(i)	प्राप्तियाँ –भौतिक मोड	प्रति लेन देन	रु.40/-
	(ii)	प्राप्तियाँ –ई- मोड *	प्रति लेन देन	रु.9/-
ख	(i)	भुगतान – पेंशन	प्रति लेन देन	रु.75/-
	(ii)	भुगतान – पेंशन के अलावा	प्रति रु.100 टर्न ओवर	6.5 पैसे

* इस संदर्भ में, यह नोट करें कि उपरोक्त तालिका में प्प्राप्तियां ई-मोड जो कि क्रम संख्या क(i) के सामने दर्शाई गई हैं, वे ऐसे लेनदेन हैं जो कि इंटर्नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषक के बैंक खाते से निधियों के प्रेषण के रूप में हैं और ऐसे सभी लेन-देनों में नकद राशि/लिखतों की भौतिक प्राप्त शामिल नहीं हैं.

9. ऑनलाईन कर लेखा प्रणाली (OLTAS)

(Online Tax Accounting System)

टीडीएस स्वचालित रूप से स्रोत पर काट लिया जाता है, फिर भी अन्य प्रकार के कर होते हैं जैसे कि स्व असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, और ऐडवांस टैक्स जो करदाताओं को सरकार को चुकाना पड़ सकता है. चालान 280 का उपयोग ऐसे आयकरों का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन करने के लिये किया जा सकता है.

चालान विवरण के ऑनलाइन उपलोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और बैंकों के माध्यम से भुगतान किये गये कर के रिकॉर्ड को बनाये रखने के लिये आयकर विभाग की पहल को **OLTAS (ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली)** नाम दिया गया है.

बैंकों के द्वारा डाटा उपलोड किया जाना

आयकर विभाग ने कर भुगतान के सम्बंध में डाटा उपलोड करने के लिये फाइल प्ररूप तैयार किया है. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्ररूपों के अनुसार कर डाटा उत्पन्न और अपलोड करें. फाइल प्रारूप के अनुसार फाईल तैयार हो जाने के बाद, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई फाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) का उपयोग करके इसकी संरचना की शुद्धता के लिये इसे सत्यापित किया जा सकता है.

इन करों का ऑनलाइन भुगतान/ई-भुगतान करने के लिये आप TIIN NSDL वेबसाइट पर जा सकते हैं. एक अन्य विकल्प आईटी विभाग द्वारा सूचीबद्ध नामित बैंक शाखाओं में से एक में समान भुगतान करना है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये करदाता का किसी भी अधिकृत बैंक में नेट-बैंकिंग खाता होना आवश्यक है.

यह सुनिश्चित करने के लिये कि करदाताओं को पूर्ण सुविधा का अनुभव हो, भारत में संग्रह तंत्र अच्छी तरह से संरचित है. इसके अलावा, सरकार राष्ट्र को मजबूत करने और इसके विकास में सहायता करने के लिये नियमित सुधार भी करती है.

10. स्रोत पर कर कटौती स्रोत पर कर / संग्रहण विवरण > ऑनलाइन दाखिलीकरण

चरण 1 – : ऑनलाइन **कर** का भुगतान करने के लिये, लॉगिन करें.

https://www.tin-nsdl.com > सेवा > ई-भुगतान > कर का भुगतान ऑनलाइन करें अथवा कथित वेबसाइट पर लेने के लिये "ई-भुगतान" टैब पर क्लिक करें.

चरण -2

प्रासंगिक चालान अर्थात आईटीएनएस 280, आईटीईएनएस 281, आईटीईएनएस 282, आईटीईएनएस 283, अथवा प्रपत्र 26थख जैसा लागू हो, का चयन करें.

चरण -3

पैन/टैन (जैसा लागू हो) तथा अन्य चालान सम्बंधी विवरण जैसे लेखांकन शीर्षक जिसके अंतर्गत भुगतान किया गया है, पैन/टैन का नाम व पता, बैंक जिसके द्वारा भुगतान किया जाना है आदि भरें.

चरण -4

भरे हुए डाटा को जमा करने पर, एक पुष्टीकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी. यदि पैन/टैन आईटीडी पैन/टैन मास्टर के अनुसार वैध हुआ तो मास्टर के अनुसार करदाता का पूरा नाम पुष्टीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

चरण -5

भरे हुए डाटा के पुष्टिकरण पर करदाता को बैंक की नेट- बैंकिंग साइट पर जाने को निर्देशित किया जायेगा.

चरण -6

करदाता को नेट-बैंकिंग उद्देश्य कई लिये बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ नेट बैंकिंग हेतु लॉगिन करना होगा तथा बैंक साइट पर भुगतान सम्बंधी विवरण भरना होगा.

चरण -7

सफलतापूर्वक भुगतान पर एक चालान प्रतिपर्ण (काउंटरफॉयल) प्रदर्शित होगा जिसमें सीआईएन, भुगतान विवरण तथा बैंक का नाम जिसके द्वारा ई- भुगतान किया गया है, शामिल होगा. यह प्रतिपर्ण किये गये भुगतान का प्रमाण है. प्रत्यक्ष कर का ई-भुगतान करने के लिये दिये गये लिंक पर क्लिक करना होगा तथा यह आगे http://incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है.

11. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर संग्रहण के लिये ई-सरल पोर्टल

मेकर लॉग इन (Maker Login)

मेकर लॉग इन

चरण 01: यूजर को ऐप्लीकेशन में मेकर के रूप में लॉग इन करना होगा.

चरण 02: यूजर फॉर्म 26 या फॉर्म 27 या फॉर्म 27ईक्यू में से कोई एक अपेक्षित फॉर्म चुनना होगा,

उदहरण फॉर्म 26 पर जायें →तिमाही 1→ कर कटौती का विवरण

मैनुअल कटौती विवरण दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें.

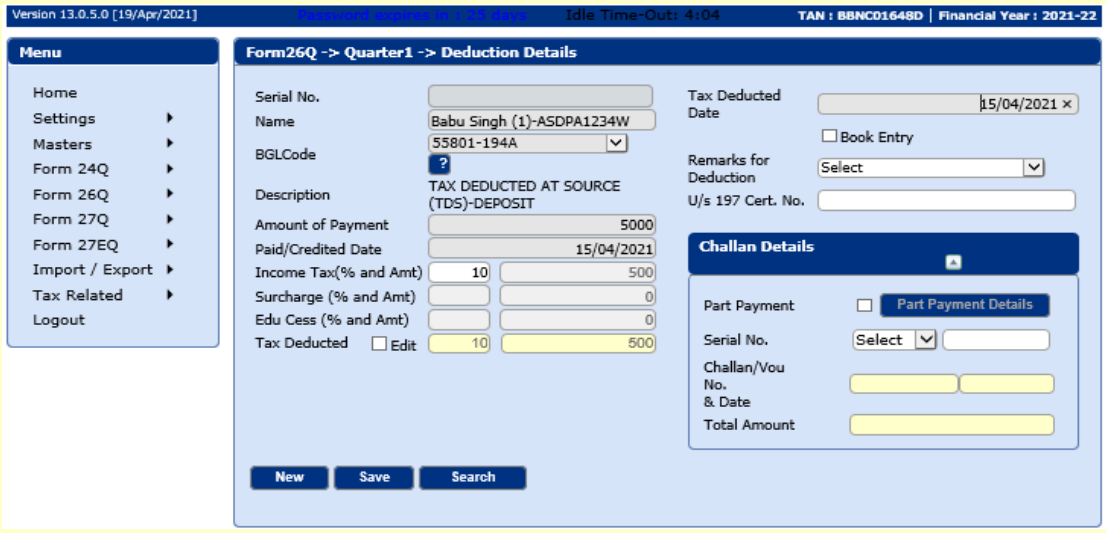

सेव बटन पर क्लिक करने पर कर कटौती रिकॉर्ड की स्थिति नीचे दिये गये चित्र में लाल रंग में दर्शाये गये के अनुरूप "**अनुमोदनार्थ**" के रूप में सेट हो जायेगा.

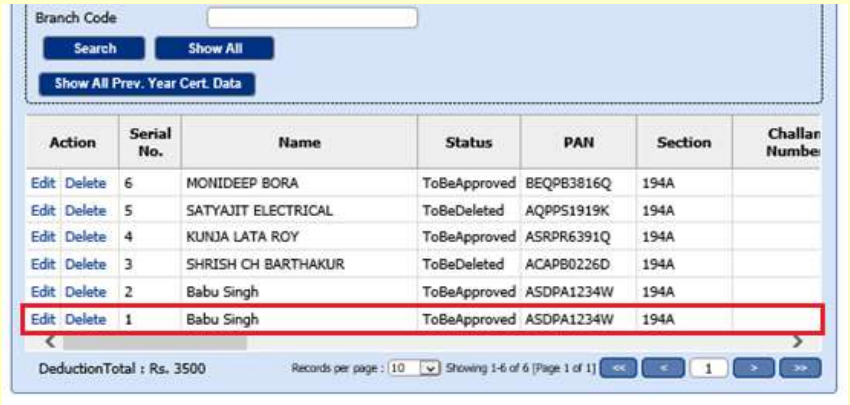

चरण 03: यूजर /मेकर पहले से दर्ज विवरण को संशोधित (सम्पादित करें/हटायें) कर सकता है, रिकॉर्ड की स्थिति "**अनुमोदार्थ**"/"**हटाने के लिये**" सेट हो जायेगी.

यूजर **अनुमोदित** रिकॉर्ड को संशोधित करके सेव बटन पर क्लिक करेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

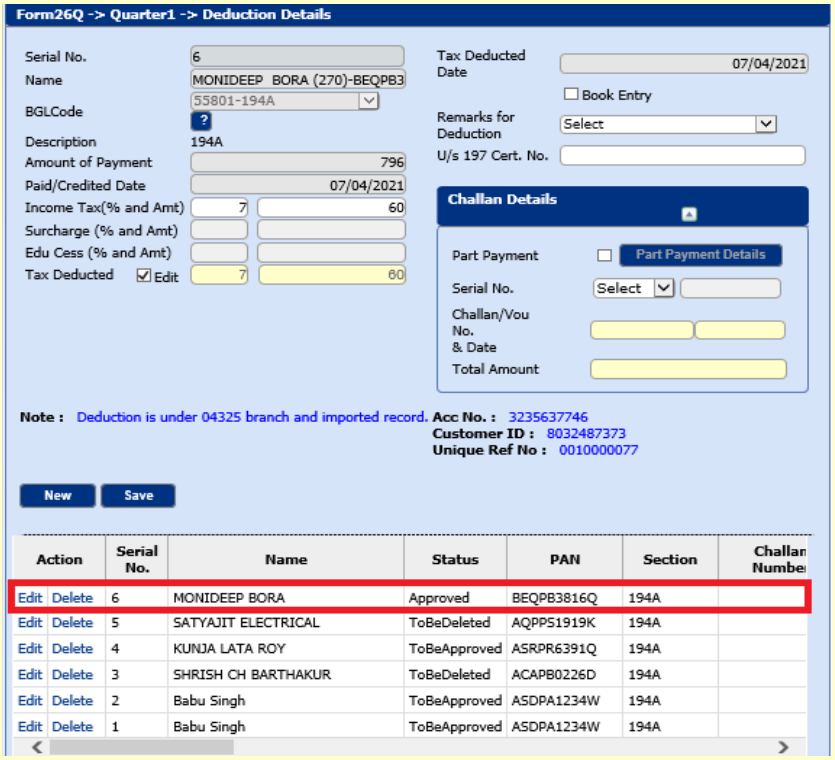

रिकॉर्ड को सेव करने के बाद नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार "**अनुमोदनार्थ**" के रूप में स्थिति सेट कर दिया जायेगा.

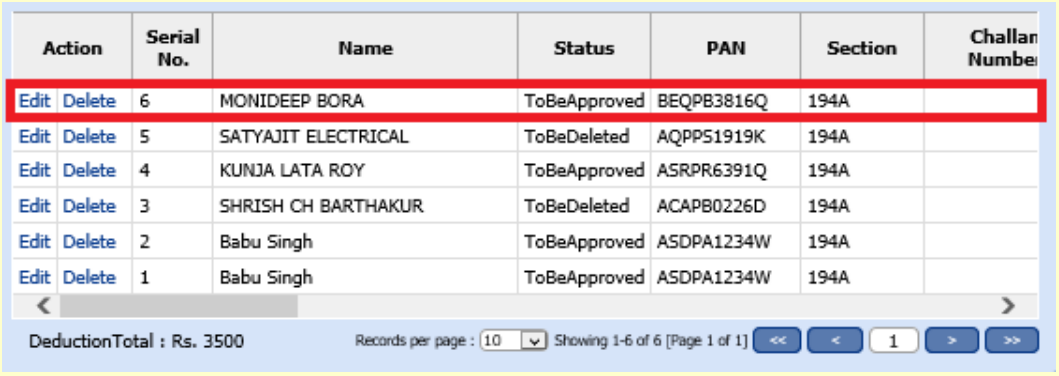

चरण 04: यूजर अनुमोदित कटौती विवरण को हटाना चाहता है.

हटाने के लिये यूजर को "हटायें" लिंक पर क्लिक करना चाहिये, तब रिकॉर्ड की स्थिति "**अनुमोदित**" से "**अनुमोदनार्थ**" में परिवर्तित हो जायेगा.

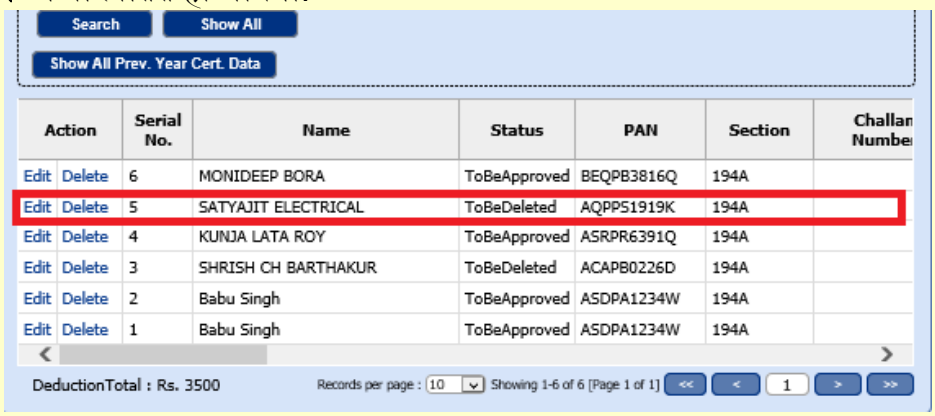

चेकर लॉग इन (Checker Login)

चेकर लॉग इन:

चरण 01:

चेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 चुनेगा तथा नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार ऐप्लिकेशन में लॉग इन करेगा.

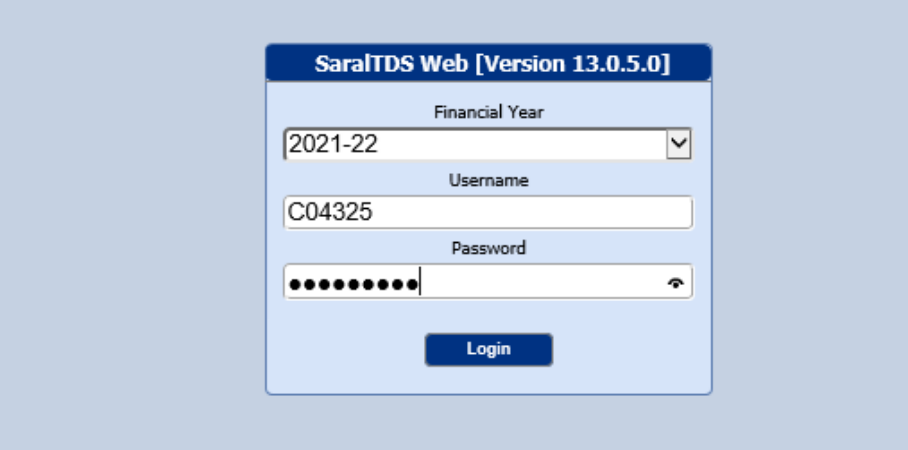

चरण 02:

चेकर फॉर्म 26 या फॉर्म 27 या फॉर्म 27ईक्यू में से कोई एक अपेक्षित फॉर्म चुनना होगा,
उदहरण फॉर्म 26 पर जायें →तिमाही 1→ कर कटौती का विवरण
चेकर को नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार प्रविष्टि हेतु दो विकल्प मिलेगा.

1. चेकर के रूप में
2. मेकर के रूप में

चेकर को कोई एक प्रविष्टि का विकल्प चुनना होगा और "जारी रखें" बटन पर क्लिक करेगा.

1. **चेकर के रूप में**

चेकर "चेकर के रूप में" चुनने पर चेकर "अनुमोदन/हटा/अस्वीकार" कर सकता है.

चेकर दो तरीके से अनुमोदन/ हटा/ अस्वीकार कर सकता है.

a) एकल रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".
b) एकाधिक रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".

a) एकल रिकॉर्ड अनुमोदन “अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें”.

चेकर ग्रिड में से “व्यू” लिंक पर क्लिक करके अपेक्षित कटौती के रिकॉर्ड को चुनेगा. उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये नीचे दिये गये ग्रिड में अनुमोदन करें/ हटायें और अस्वीकार करें बटन दिखाई देगा.

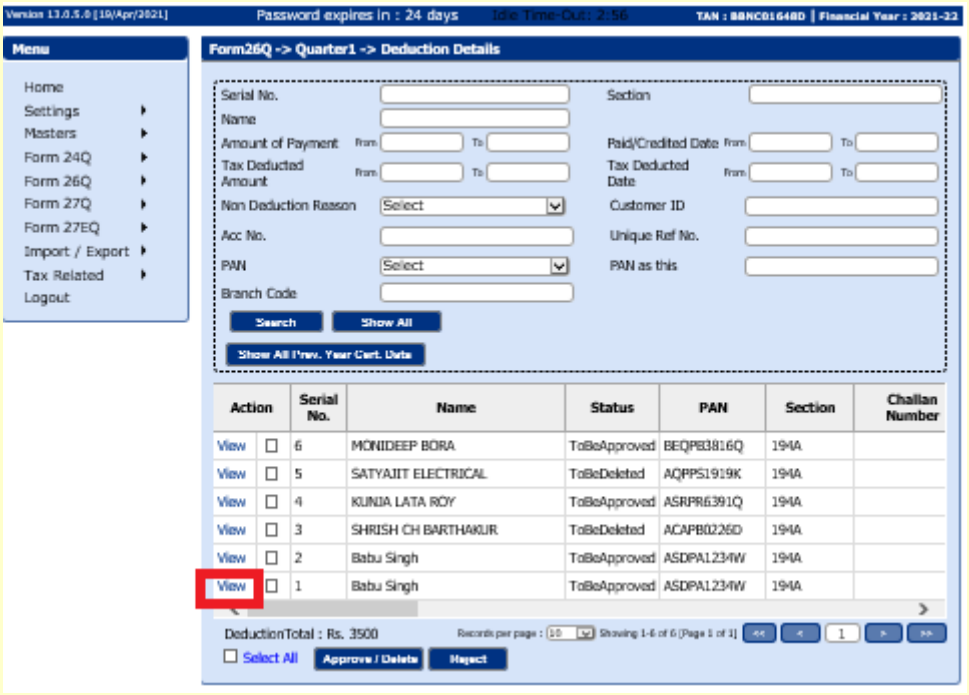

“व्यू” लिंक पर क्लिक करने पर नीचे दिखाया गया चित्र एकल रिकॉर्ड अनुमोदन हेतु दिखाई देगा.

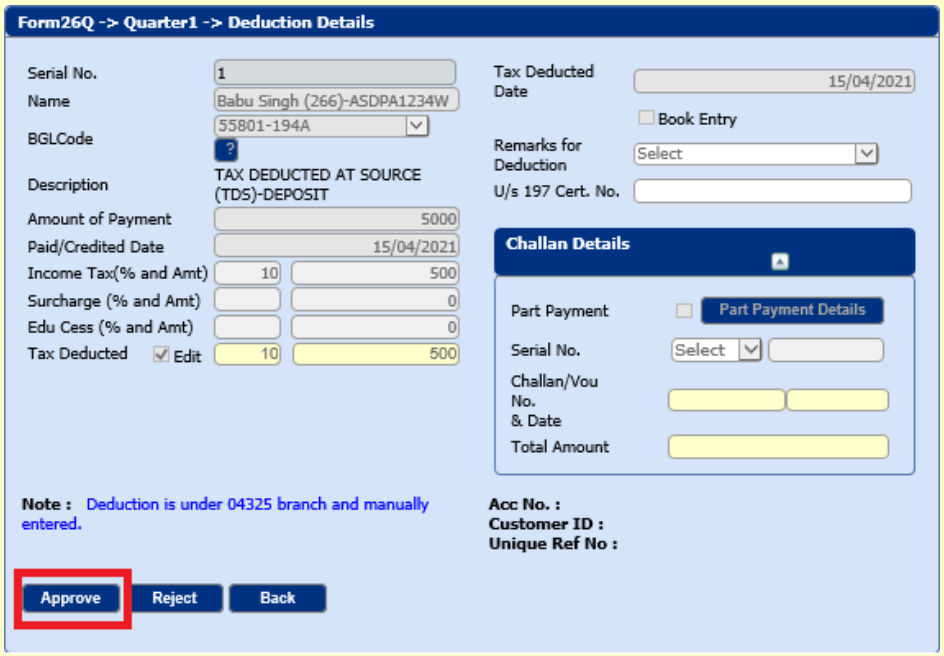

उपर्युक्त चित्र में लाल रंग में उभारे गये “अनुमोदन करें” बटन पर क्लिक करने पर रिकॉर्ड चेकर के रिकॉर्ड से लुप्त हो जायेगा और रिकॉर्ड आगे मेकर के आगे की कार्रवाई के लिये “अनुमोदित” स्थिति के रूप में उपलब्ध होगा.

नीचे दिये गये चित्र के अनुसार चेकर अनुमोदन अनुरोध को “अस्वीकार करें” बटन पर क्लिक करके अस्वीकार कर सकता है.

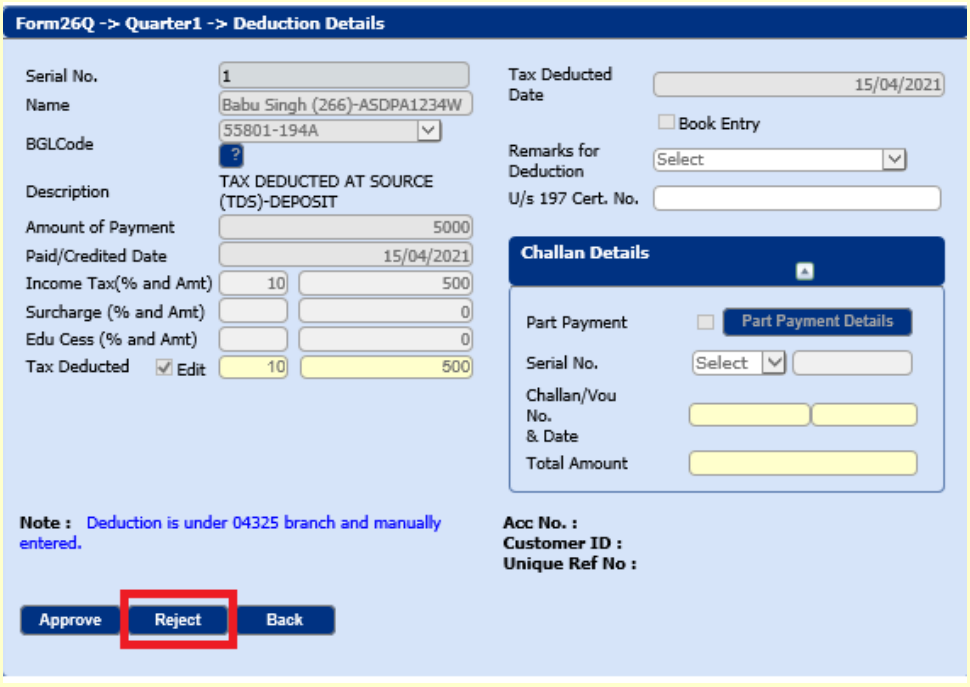

b) एकाधिक रिकॉर्ड अनुमोदन “अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें”.

चेकर अनुमोदन करने/ हटाने और अस्वीकार करने के लिये “सलेक्ट ऑल” चेकबॉक्स पर क्लिक करके एकाधिक रिकॉर्ड चुनेगा जैसा कि नीचे चित्र में ग्रिड में लाल रंग में दिखाया गया है .

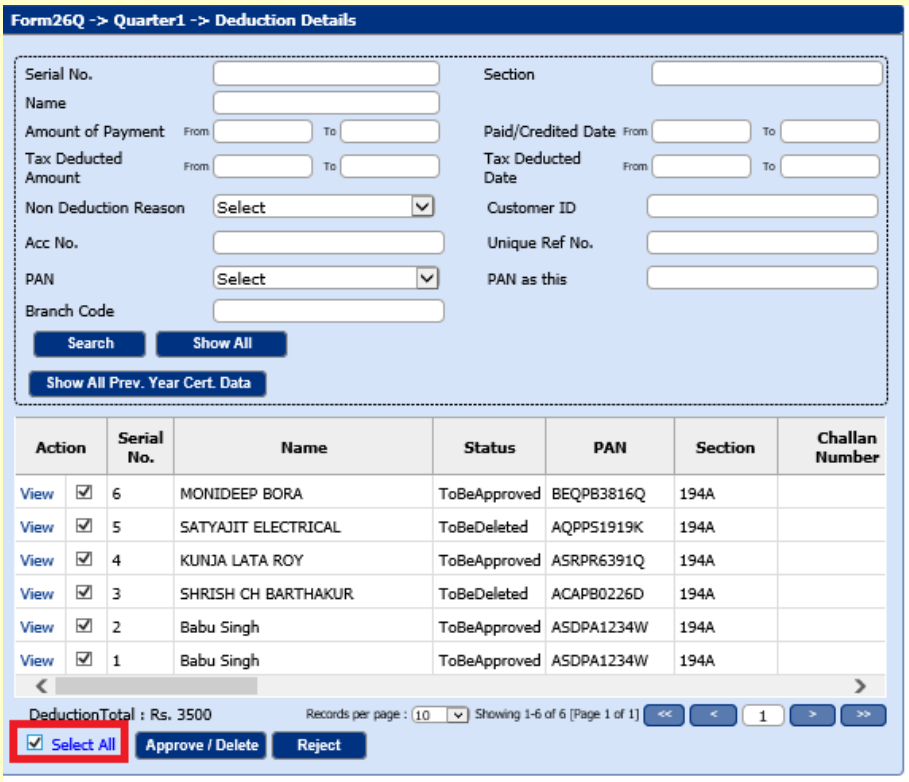

चेकर नीचे चित्र में दर्शाये गये चित्र के अनुसार अनुमोदन करें/ हटायें बटन पर क्लिक करके एकाधिक रिकॉर्ड चयन कर सकता है.

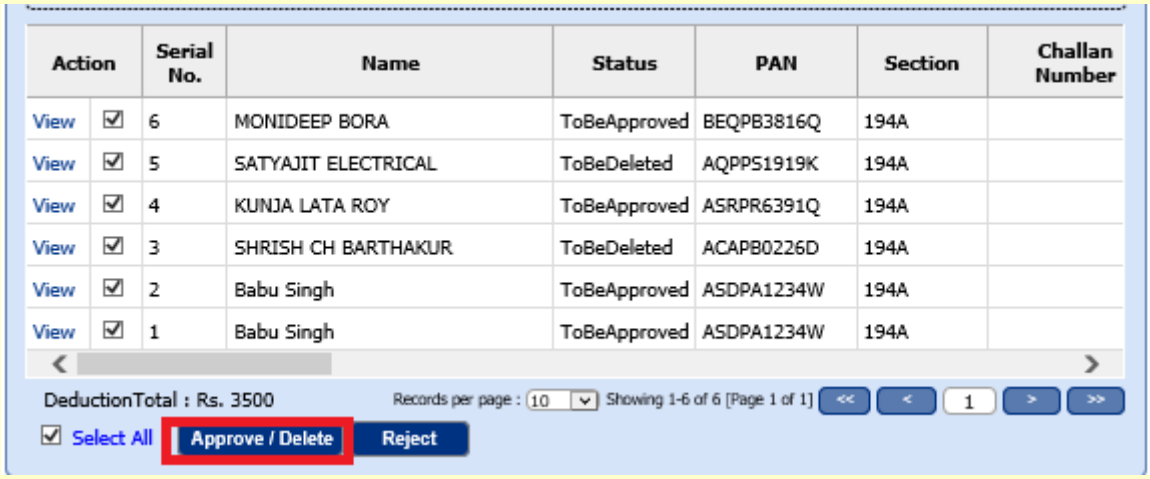

सभी चयनित "**अनुमोदनार्थ**" रिकॉर्ड "**अनुमोदित**" हो जायेंगे और चेकर की स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.
सभी "**हटाने के लिये**" रिकॉर्ड "**हट**" जायेंगे और चेकर की स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.
चेकर एकाधिक कटौतियों को "**अस्वीकार करें**" बटन पर क्लिक करके अस्वीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिये गये चित्र में दर्शाया गया है.

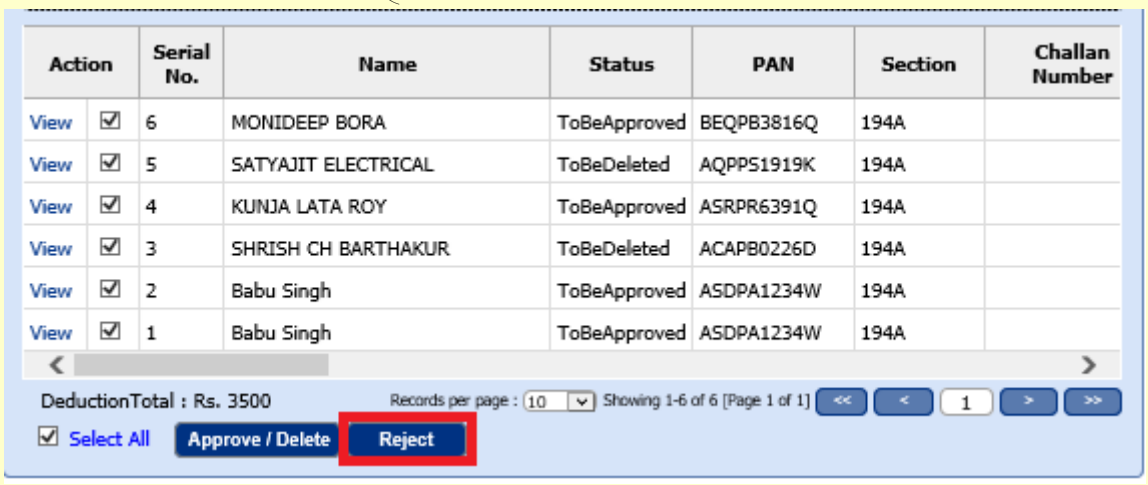

सभी चयनित "अनुमोदनार्थ" और "हटाने के लिये" रिकॉर्ड अस्वीकृत किये जा सकते हैं और चेकर के स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.

2 **मेकर के रूप में**

नोट: चेकर मेकर भी हो सकते हैं, तथापि एक ही चेकर स्वयं अपनी प्रविष्टि को अनुमोदित नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उसी शाखा का अन्य चेकर, क्षेत्रीय कार्यालय ऐड्विन, सुपर ऐड्विन को ऐसे रिकॉर्ड को अनुमोदन करने का प्रावधान दिया जाना चाहिये.

चेकर के "मेकर के रूप में" विकल्प का चयन करते ही कटौती विवरण प्रविष्टि पृष्ठ खुल जायेगा.
चेकर "मेकर के रूप में" विकल्प चुनकर कटौती विवरण दर्ज कर सकता है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.
मैन्युअल कटौती विवरण दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें.

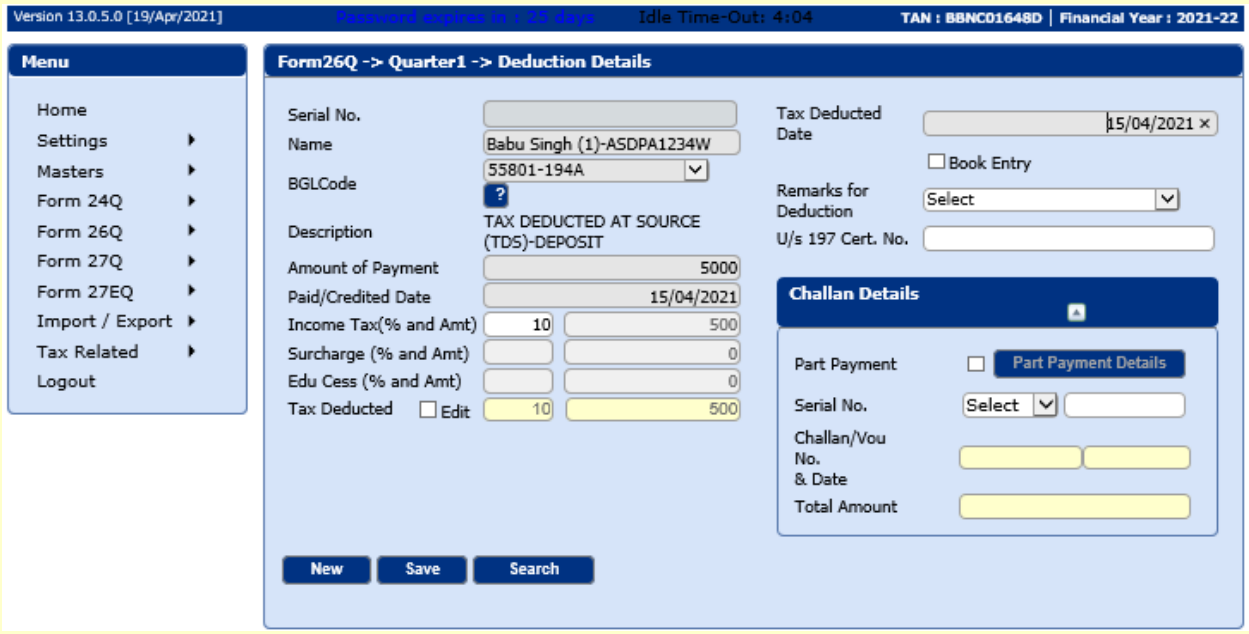

यूजर के सेव बटन पर क्लिक करते ही कटौती के रिकॉर्ड की स्थिति "**अनुमोदनार्थ**" के रूप में सेट हो जायेगा जैसा कि नीचे चित्र में लाल रंग में दर्शाया गया है.

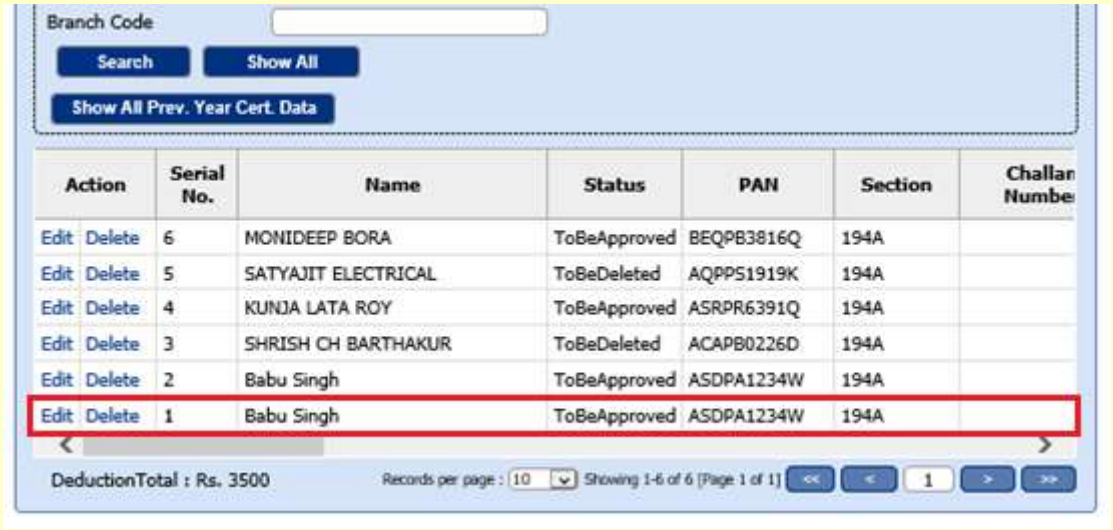

चरण 03:

यूजर /मेकर पहले से दर्ज विवरण को संशोधित (सम्पादित करें/हटायें) कर सकता है, रिकॉर्ड की स्थिति "**अनुमोदार्थ**"/"**हटाने के लिये**" सेट हो जायेगी.

यूजर **अनुमोदित** रिकॉर्ड को संशोधित करके सेव बटन पर क्लिक करेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

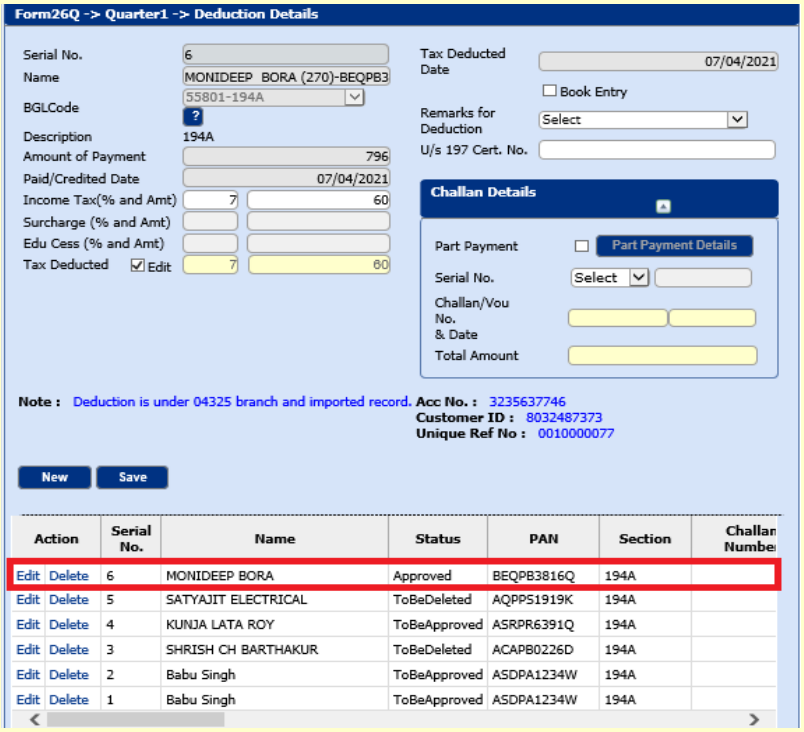

रिकॉर्ड सेव करने के बाद स्थिति "**अनुमोदनार्थ**" के रूप में सेट हो जायेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

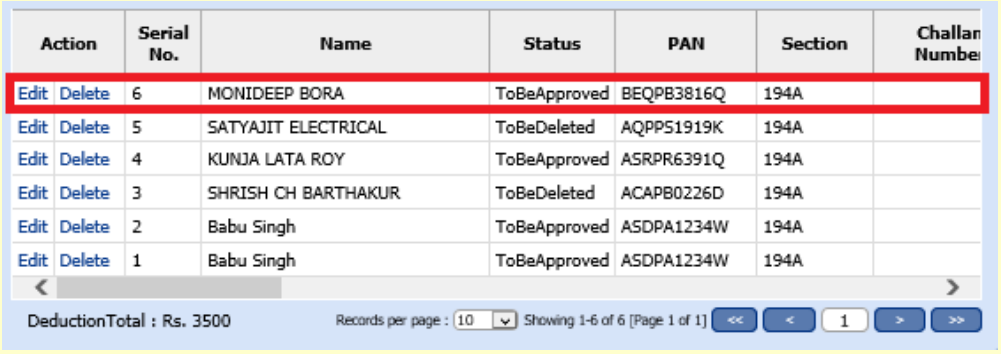

चरण **04:**

यूजर पूर्व में अनुमोदित कटौती विवरण को हटाना चाहता है.

हटाने के लिये यूजर को "हटायें" लिंक पर क्लिक करना चाहिये, तब रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदित" से "**हटाने के लिये**" में परिवर्तित हो जायेगा.

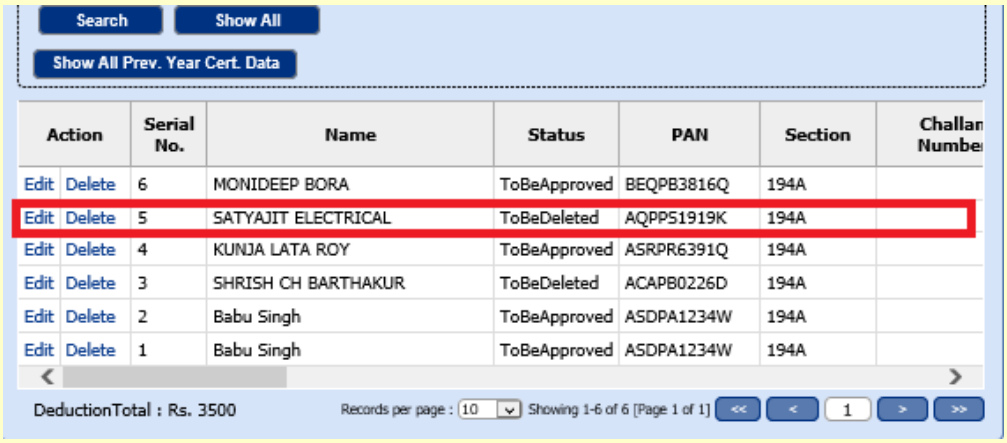

12. स्रोत पर कर कटौती की दरें

हमारे बैंक के सभी कार्यालय उनके द्वारा किये गये कुछ भुगतानों पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती कर रहे हैं. कर की कटौती राशि के भुगतान के समय नकद, चेक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य तरीके से, जो भी शीघ्रता से हो सके, द्वारा की जानी है. यदि किसी व्यक्ति को किया जाने वाला भुगतन किसी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में जमा किया जाता है, जिसमें हमारे लेखों में देय राशि स्वीकार की जाती है, तो ऐसे क्रेडिट को भी प्राप्तकर्ता के खाते में जमा माना जायेगा और स्रोत पर कर काटा जाता है.

जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 1 फरवरी, 2021 को बजट पेश किया है और भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है.

वित्त अधिनियम 2021 ने धारा 194पी के तहत नये टीडीएस/ टीसीएस प्रावधान पेश किया है- 75 वर्ष से अधिक आयु के निवासी वरिष्ठ नागरिक को भुगतान की जाने वाली पेंशन और ब्याज आय, धारा 194 क्यू- निर्दिष्ट सीमा से अधिक माल की खरीद, धारा 206एबी और 206सीसीए – टीडीएस/टीसीएस की उच्च दर की प्रयोज्यता का विवरण नीचे दिया गया है. कोविड-19 के कारण टीडीएस दर में 25% की कमी का प्रभाव दिये बिना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये लागू टीडीएस दरों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये लागू टीडीएस दर के सम्बंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. इसलिये कोविड-19 के कारण टीडीएस दर में 25% की कमी का प्रभाव दिये बिना पुरानी दरें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये लागू होंगी.

यदि आदाता पैन प्रस्तुत नहीं करता है तो टीडीएस निम्नलिखित में से अधिक दर पर काटा जायेगा:

- अधिनियम के प्रासंगिक प्रवधानों में निर्दिष्ट दरें : या
- लागू दरें; या
- 20%

ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागी को भुगतान के मामले में 20% के बजाय 5% टीडीएस लागू होगा.

उन ग्राहकों के मामले में जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक का कुल टीडीएस/टीसीएस है और जिन्होंने उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले 2 वित्तीय वर्षों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसमें टीडीएस/टीसीएस की कटौती /संग्रह किया जाना है और आईटीआर दाखिल करने की समय सीम समाप्त हो गई है, तो टीडीएस की दर निम्न में से अधिक होगी:

- निर्दिष्ट दरों से दोगुना; या
- लागू दरें; या
- 5%

यदि आदाता पैन प्रस्तुत नहीं करता है और पैन प्रस्तुत नहीं करने के लिये टीडीएस दर उपर्युक्त दरों से अधिक है तो ऐसी उच्च दर लागू होगी.

ये प्रावधान निम्नलिखित भुगतानों के लिये लागू नहीं होंगे:-

- वेतन
- कर्मचारी को शेष संचित राशि
- लौटरी, क्रॉसवर्ड पहेली या घुड़दौड़ से जीत
- प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के सम्बंध में भुगतन की गई आय
- नकद निकासी पर बैंकों द्वारा टीडीएस

इन दरों पर सरचार्ज और माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा सेस(SHEC) नहीं लागू होगा.

क्षेत्रीय कार्यालयों में टीडीएस विभाग (सेल) की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि उनकी शाखाएं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती कर रही हैं और टीडीएस राशि ठीक से प्रेषित की जाती है तथा तिमाही रिटर्न समय पर भरा जाता है.

विक्रेता ई-टीडीएस में, किये गये विभिन्न भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए कर दरों को अद्यतन करता है. तथापि , वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवासियों को किये गये कुछ भुगतानों पर कर की कटौती की दर और सीमा रेखा भी नीचे तालिका के रूप में दिया गया है.

कर की कटौती और त्रैमासिक रिटर्न भरने में किसी भी चूक का बैंक की लाभप्रदता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव होगा. आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी कार्यालय /शाखाएं स्रोत पर कर की कटौती या केंद्र सरकार के पक्ष में कर राशि के प्रेषण निर्दिष्ट समय सीमा में करें तथा इसमें कोई चूक न करें और तिमाही आयकर विवरणी (टीडीएस रिटर्न) समय पर दाखिल करें.

वित्तीय वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए लागू स्रोत पर कर कटौती की दरें (टीडीएस)और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)का सारांश नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	भुगतान की प्रकृति	बेसिक कट ऑफ (रु.)	कंपनी/फर्म/सहकारिता सोसाइटी/स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी	व्यक्तिगत/ अविभाजित हिंदु परिवार	पैन का न होना या अमान्य होना
1.	194 ए- ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा (सावधि जमा, एसडीआर, टीडीआर,आरडी)	रु.50,000/- से अधिक (निवासी वरिष्ठ नागरिकों हेतु)	लागू नहीं	10%	20%
2.	194 ए- ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा (सावधि	रु.40,000/- से अधिक (निवासी	10%	10%	20%

	जमा, एसडीआर, टीडीआर,आरडी)	वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य लोगों के लिये)			
3.	194 सी- ठेकेदार को भुगतान (एकल लेनदेन)	रु.30,000/- से अधिक	2%	1%	20%
4.	194 सी- ठेकेदार को भुगतान (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल भुगतान)	रु.1,00,000/- से अधिक	2%	1%	20%
5.	194 सी- 10 या उससे कम माल ढुलाई के मालिक ट्रांसपोर्टर ऑपरेटरों को छूट (घोषणा और पैन प्रस्तुत करने के आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20%
6.	194II- कमीशन (दलाली)	रु.15,000/- से अधिक	5%	5%	20%
7.	194I – किराया (भूमि और भवन, फर्नीचर, फिटिंग)	रु.2,40,000/- से अधिक	10%	10%	20%
8.	194I – किराया (संयंत्र और मशीनरी, उपकरण)	रु.2,40,000/- से अधिक	2%	2%	20%
9.	194I – अचल सम्पत्ति की खरीद (कृषि भूमि के अलावा)	रु.5,00,000/-या उससे अधिक	1%	1%	20%
10.	194जे – तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क	एक साल में रु.30,000/- से अधिक	2%	2%	20%
11.	194जे – व्यावसायिक सेवाओं हेतु शुल्क, रॉयल्टी	एक साल में रु.30,000/- से अधिक	10%	10%	20%
12.	194जे – केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में संलिप्त व्यक्तियों को भुगतान	एक साल में रु.30,000/- से अधिक	2%	2%	20%
13.	194जे – निदेशक को दिया गया कमीशन या अन्य कोई पारितोषिक (धारा 192 'वेतन' के तहत उनके अलावा जिन पर टीडीएस लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	10%	20%
14.	194एन –रु. 1 करोड़ से अधिक नकद निकासी किया गया हो और प्राप्तकर्ता ने पिछले 3 आकलन वर्षों में से किसी एक वर्ष के लिये आयकर विवरणी भरा हो	रु.1,00,00,000/- से अधिक	2%	2%	20%
15.	194एन –निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकद निकासी किया गया हो और प्राप्तकर्ता ने	रु.20,00,000/-से अधिक लेकिन	2%	2%	20%

	पिछले 3 आकलन वर्षों में से किसी एक वर्ष के लिये आयकर विवरणी नहीं भरा हो	रु.1,00,00,000/- से कम			
16.	194एन –निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकद निकासी किया गया हो और प्राप्तकर्ता ने पिछले 3 आकलन वर्षों में से किसी एक वर्ष के लिये आयकर विवरणी नहीं भरा हो	रु.1,00,00,000/- से अधिक	5%	5%	20%
17.	194- निवासी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान	रु.5000/- से अधिक	10%	10%	20%
18.	194पी- 75 वर्ष से अधिक के निवासी वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया - पेंशन और ब्याज आय का भुगतान (1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी) ऐसे वरिष्ठ नगरिकों द्वारा घोषणा के आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	स्लैब दर	स्लैब दर या 20% जो भी अधिक हो
19.	194क्यू - निर्दिष्ट सीमा से अधिक माल की खरीददारी (1 जुलाई 2021 से प्रभावी)	एक साल के दौरान रु. 50,00,000/- से अधिक	0.1%	0.1%	5%
20.	206सी- (1जी) – उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत भारत से बाहर धन-प्रेषण पर एकत्रित कर	वित्तीय वर्ष में रु. 7,00,000/- से अधिक	लागू नहीं	5%	10%
21.	206सी- (1एच) – निर्दिष्ट सीमा से अधिक माल की बिक्री पर एकत्रित कर	वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 50,00,000/- से अधिक	0.1%	0.1%	1%
22.	192- वेतन पर एकत्रिक कर	स्लैब दर	लागू नहीं	पुराने प्रशासन के अनुसार स्लैब दर या नयी व्यवस्था के धारा 115BAC के तहत वर्ष की शुरुआत में या कर्मचारी के नौकरी में शामिल होने पर कर्मचारी के द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार स्लैब दर	स्लैब दर या 20% जो भी अधिक हो
23.	192ए- ईपीएफ से अवधिपूर्व निकासी	रु.5000/- से अधिक	लागू नहीं	10%	सर्वाधिक सीमांत दर

13. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गये. इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड **वित्त मंत्रालय** में **राजस्व विभाग** का एक हिस्सा है। एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं। देश के सभी राज्यों में संसदीय क्षेत्र निर्धारित किये गए हैं, उसी के अनुसार उस क्षेत्र से जनता द्वारा एक जन प्रतिनिधि चुना जाता है जिसका चयन लोकसभा या आम चुनाव के माध्यम से किया जाता है. चयनित जनप्रतिनिधि को सांसद महोदय Member of Parliament (MP) कहा जाता है. यही उस राज्य के निर्वाचित क्षेत्र का देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्रों की मांगों को आगे रखते हैं.

किसी राजनितिक दल द्वारा संसद में बहुतमत प्राप्त कर लेना पर उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है तथा आगे प्रधानमन्त्री की सलाह पर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का गठन देश का राष्ट्रपति करता है. इस प्रकार विधायिका में केंद्र सरकार का गठन किया जाता है.

देश के सभी राज्यों में जहां – जहां विधानसभा स्थापित है वहां के लिए उस राज्य का कार्य भार राज्य द्वारा चलाया जाता है. यह उस राज्य से सम्बंधित जनता की सुविधा, विकास, लोकहित में योजनायें केंद्र सरकार के सहयोग से चलाती है. उस राज्य के नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उस राज्य के लिए राज्य सरकार का निर्माण करते हैं.

अत: हम कह सकते हैं कि यह उस राज्य या उस राज्य के लोगो का ही प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के हित में कार्य करती है |

14. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

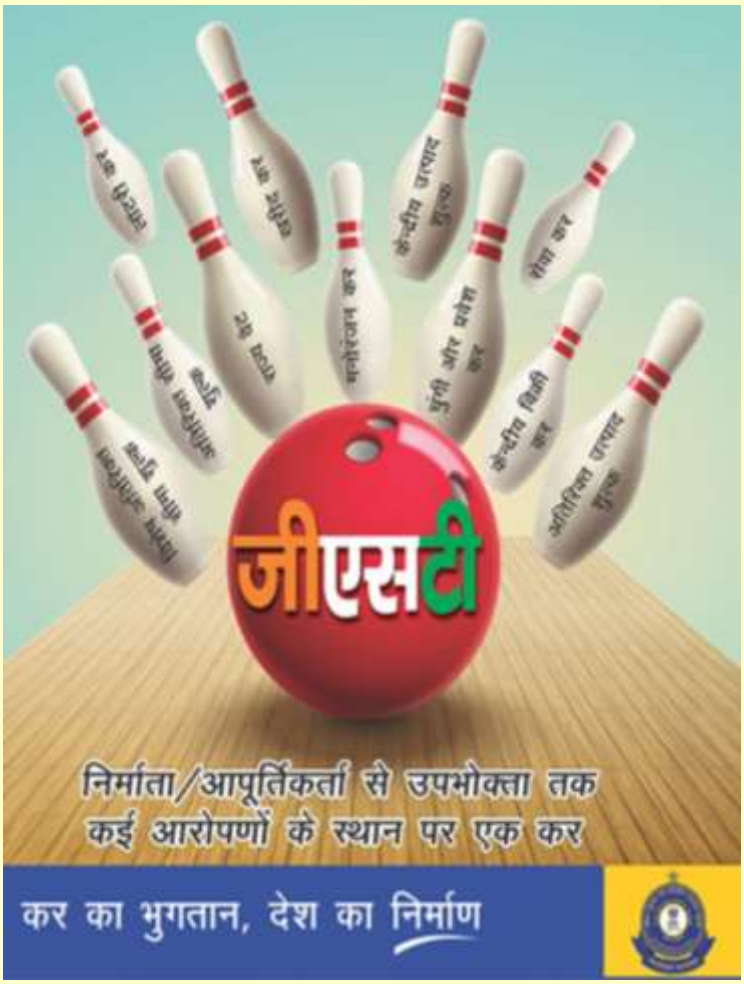

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी (GST-Goods and Services Tax) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।

वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12% और 18%। मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है।

जीएसटी कर की प्रकृति

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया

जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, या आप जीएसटी सेवा केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं।

टिन (TIN) सुविधा केंद्र सह पैन (PAN) केंद्र देश भर में उपलब्ध हैं:-

इन टिन सुविधा केंद्रों और पैन केंद्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं:

- कटौतीकर्ताओं /संग्राहकों से ई-टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करें.
- गैर-कॉर्पोरेट, गैर सरकारी कटौतीकर्ताओं/कलेक्टरों से कागजी प्रारूप में टीडीएस/टीसीएस रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करें.
- फाइलरों से वार्षिक सूचना रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली पर अपलोड करें.
- टैन (TAN) आवेदकों से नये TAN के आवंटन के लिये आवेदन (फॉर्म 49B) और 'आवंटित TAN के लिये TAN डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिये अनुरोध' प्राप्त करें.
- पैन (PAN) आवेदकों से नये पैन के आवंटन के लिये आवेदन (फॉर्म 49ए, फॉर्म 49एए)' और 'नये पैन कार्ड के लिये अनुरोध या/ और पैन डेटा में बदलाव या सुधार' प्राप्त करें.
- खाता कार्यालयों (एओ) से फॉर्म 24जी विवरण प्राप्र करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली पर अपलोड करें.

संभावित लाभ

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था से निम्न लाभ संभावित हैं:

व्यापार और उद्योग के लिए

आसान अनुपालन, पारदर्शिता: एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।

कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।

करों पर कराधान की समाप्ति - मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।

प्रतिस्पर्धा में सुधार – व्यापार करने में लेन-देन घटने से उद्योग के लिये व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ – जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए

सरल और आसान प्रशासन - केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्द्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।

कदाचार पर बेहतर नियंत्रण – मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंतर्निर्मित तंत्र है:, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अधिक राजस्व निपुणता – जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं के लिए

वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैरइनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे - वस करों से अधिकांशत्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

समग्र कर भार में राहत – निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

समिति

जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति (2002) ने दिया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त (निर्मला सीतारमण) मंत्री हैं। असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्य सभा मे असम में सबसे पहले स्वीकार किया जबकि राजस्थान 17 व राज्य है। तथा 17 वे हस्ताक्षर पर सभी राज्यो में लागू हो गया यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर कानून बना दिया।

दरें

जीएसटी काउंसिल ने पाँच तरह के कर निर्धारित किये हैं, ये 0, 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत. हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी.

आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिए, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारम्भ में-4 दरें निर्धारित की गईं ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये चार दरें 5%, 12%, 18% तथा 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 40 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है।

प्राप्तियाँ

मास	**करप्राप्ति-**
मई	₹ 940.16 बिलियन
अप्रैल	₹ 1,034.58 बिलियन
मार्च	₹ 892.64 बिलियन
फरवरी	₹ 851.74 बिलियन
जनवरी	₹ 863.18 बिलियन
दिसम्बर	₹ 867.06 बिलियन

लगभग 38 लाख नए करदाता जीएसटी में पञ्जीकृत हुए हैं। इस प्रकार कुल करदाताओं की संख्या 1 करोड़ पार कर गयी है. 64 लाख करदाता पहले से पंजीकृत थे:

मास	वापसी की संख्या
दिसम्बर	63 लाख
नवम्बर	64 लाख
अक्टूबर	65 लाख
सितम्बर	69 लाख
अगस्त	67 लाख
जुलाई	63 लाख